191

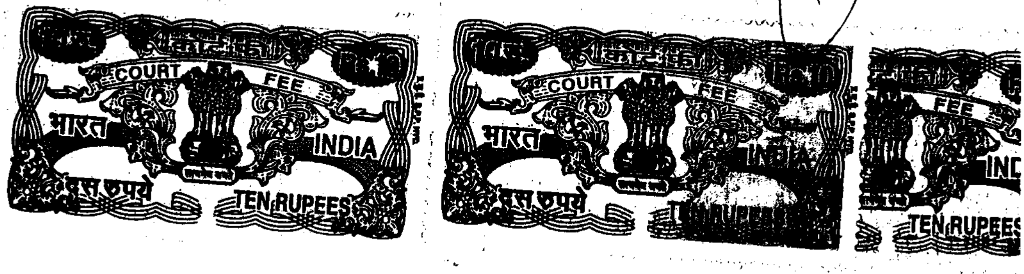

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मन्दसौर R 1356-PBR/17

कपिल पुत्र श्री शान्ती लाल कुमठ महाजन
निवासी – पिपलियामंडी तहसील मल्हार
गढ़ जिला – मंदसौर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरुद्ध

1– रतनकुवंर बेवा शान्ती लाल कुमठ महाजन
2– सूरजबाई बेवा हस्तीमल कुमठ महाजन
3– श्वेता पुत्री श्री शान्तीलाल कुमठ महाजन
4– ट्वीकल पुत्र श्री शान्तीलाल कुमठ महाजन
निवासीगण पिपलियामंडी तहसील मल्हार
गढ़ जिला – मंदसौर (म.प्र.)
5– म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

श्री........................ द्वारा आज दि. 12.5.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.5.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय तहसीलदार मल्हारगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ–27/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1356–पीबीआर/17 **जिला** मन्दसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–12–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकार कर मदन आदि को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	